

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2019—आश्विन 5, शक 1941

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (जिला शहरी विकास अभिकरण), बैतूल मध्यप्रदेश

क्रमांक-एसजेएस-1-सीमावृद्धि-2019-368

बैतूल, दिनांक 16 सितम्बर 2019

एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगर पालिका परिषद बैतूल के संकल्प क्रमांक- 264 दिनांक 08/08/2018 के क्रमांक - 1 से 9 के अनुसार बैतूल जिले की जनपद पंचायत बैतूल की सीमाओं के अंदर अनुसूची -1 में दर्शाए गए स्थानीय संकमणशील क्षेत्रों को नगरपालिका परिषद बैतूल में सम्मिलित किये जाने हेतु एवं नगर पालिका परिषद बैतूल की सीमा वृद्धि किए जाने हेतु प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है अनुसूची-1 में दर्शित सम्मिलित संकमणशील क्षेत्रों के संबंध में अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इनमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति या सुझाव रखना चाहता है तो इसके प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल को प्रस्तुत कर सकता है । समयावधि में प्राप्त सुझाव/आपत्तियां ही मान्य होगी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल प्राप्त सुझाव /आपत्ति का निराकरण कर अपने अभिमत प्रस्ताव कलेक्टर, जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल को समयसीमा में प्रस्तुत करेंगे ।

## // अनुसूची - एक //

नगर पालिका परिषद बैतूल की सीमाओं में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तावित ग्रामों का क्षेत्र निम्नानुसार होगा:-

क.	नगरीय क्षेत्र के सीमावृद्धि हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	शामिल किये जाने हेतु प्रस्तावित ग्राम का रकबा (क्षेत्रफल) हेक्टेयर में	शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित ग्राम के खसरा नंबर	शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित ग्राम की संभावित जनसंख्या
1	2	3	4	5	6
1	टेमनी	1.खकरा जामठी -आशिक भाग 2.कोसमी -आशिक भाग	102.354 हेक्टेयर 86.858 हेक्टेयर	1 से 58 तक 57 से 80 तक एवं 117 से 130 तक	.250 550
2	कढ़ाई	1.सोनाघाटी -आशिक भाग	169.453 हेक्टेयर	75 से 149 तक 177 से 199 तक	1200
3	दनोरा	1. दनोरा- पूर्ण भाग 2. परसोड़ा- पूर्ण भाग	385.389 हेक्टेयर 151.495 हेक्टेयर	1 से 252 तक 1 से 77 तक	1470 200
4	बड़ोरा	1. बड़ोरा- पूर्ण भाग	627.047 हेक्टेयर	1 से 436 तक	8000
5	आरूल	1. बटामा- आशिक भाग	31.056 हेक्टेयर	17 से 21 तक 28 से 31 तक	800 ,,
6	बाजपुर	1. परसोड़ी- आशिक भाग	11.460 हेक्टेयर	1 से 9 तक	10
7	मरामझिरी	1. टिकारी- पूर्ण भाग	461.910 हेक्टेयर	1 से 158 तक 161 से 173 तक 921 से 958 तक	1600
8	मरामझिरी	1. गौठाना- पूर्ण भाग	643.230 हेक्टेयर	1 से 108 तक 110 से 183 तक	3000

## // अनुसूची - दो //

अनुसूची-एक में दर्शाये गये क्षेत्रों सहित नगरपालिका परिषद बैतूल की पुनरीक्षित सीमा निम्नानुसार होगी :-

उत्तर:- सोनाघाटी लोहा रेल्वे पुल ,रेल्वे लाईन ग्राम जामठी सरहद, ग्राम चिखलार की सरहद ,शासकीय काष्ठाकार, एम0पी0 एग्रो0 बैलगाडी प्रोजेक्ट ।

पूर्व :- एम0पी0 एग्रो0 बैलगाडी प्रोजेक्ट ,ग्राम सोम्पारीपेट की सरहद, ग्राम उमरी जागीर की सरहद,ग्राम चकोरा , नगरीय क्षेत्र बैतूल (हमलापुर ),ग्राम परसोडी बुजुर्ग का तिमेंडा , ग्राम परसोडी बुजुर्ग एवं नगरीय क्षेत्र बैतूल (हमलापुर )की सरहद ,माचना नदी, गुफा मंदिर रास्ता , अरुण सिंह किलेदार एवं कैलाश प्रसाद चुन्नीलाल के खेत तक । सापना नदी,ग्राम बटामा की सरहद ,ग्राम हनोत्या की सरहद ,बड़ोरा ,ग्राम बटामा एवं ग्राम भरकावाडी का तिमेंडा ।

**दक्षिण:—** बडोरा ,ग्राम बटामा एवं ग्राम भरकावाडी की तिमेंडा ,ग्राम भोंगीतेडा की सरहद ,  
ग्राम रोढा की सरहद, ग्राम रोढा , परसोडा एवं ग्राम भडूस का तिमेंडा ।

**पश्चिम :—**परसोडा ,ग्राम रोढा एवं ग्राम भडूस का तिमेंडा ,ग्राम भडूस की सरहद, करंजी  
नदी,माचना नदी फोरलेन पुल ,फोरलेन ,सोनाघाटी लोहा रेल्वे पुल ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर .

Serial Number/SJS-1/2019 Seemavardhi/368

Betul, the 16th September 2019

Hereby exercising the powers conferred under Section 5 (a) of Madhya Pradesh Municipality Act, 1961, in accordance with the point no.1 to 9 of the Resolution No. 264 dated 08.08.2018 of Nagar Palika Parishad Betul, the following local and transitional areas of Betul Janpad panchyat district Betul .shown In the schedule -1 is notified initially to be included in the Municipal Council Betul and increase the boundary of the Municipal Council Betul.If any local authority concerned with the areas mentioned in the schedule -1 or any person residing there in want to make any objection or put any suggestion in written in respect of any suit contained there in may submit his objection/ suggestion before Sub-Divisional Officer (Revenue) Betul within 15 days from the date of publication of this notification. Objection/ suggestion received within time limit will only be considered. All such received objection/ suggestion shall be disposed by Sub-Divisional Officer (Revenue) Betul in scheduled time limit and submit his opinion proposal to the Collector, District Urban Development Agency Betul within the time limit.

**// Schedule - 1 //**

The areas of the proposed villages to be included in the Nagar Palika Parishad Betul are as follows: -

S.No	Name of the Gram panchayat of proposed village to be included inNagar Palika Parishad Betul	Name of the village proposed under the panchayat	Proposed Area of the village to be included	Khasra No. of village proposed to be included	Approximate Population of the village proposed
1	2	3	4	5	6
1	Temni	1.Khakra jamthi – partial part 2.Koshmi - partial part	102.354 hec. 86.858 hec.	1 to 58 57 to 80 117 to 130	250 550
2	Kadai	1.Sonaghati - partial part	169.453 hec.	75 to 149 177 to 199	1200
3	Danora	1.Danora – Complete 2.Parsoda - Complete	385.389 hec. 151.495 hec.	1 to 252 1 to 77	1470 200
4	Badora	1.Badora - Complete	627.047 hec.	1 to 436	8000
5	Arul	1.Batama - partial part	31.056 hec.	17 to 21 28 to 31	800
6	Bajpur	1.Parsodi - partial part	11.460 hec.	1 to 9	10
7	Maramjhiri	1. Tikari - Complete	461.910 hec.	1 to 158 161 to 173 921 to 958	1600
8	Maramjhiri	1.Gouthana - Complete	643.230 hec.	1 to 108 110 to 183	3000

The revised boundary of Municipal council Betul After inclusion of the area as mentioned in Schedule-1 is

- North-** sonaghati iron railway bridge, railway line ,village jamthi border ,gram chikhlar border, government forest depo, m.p. agro bullock cart project .
- East -** m.p. agro bullock cart project ,village sommaripeth border ,village umri jagir border ,the timedha of village chakora ,urban area betul (hamlapur) and village parsodi bujurg, the border of village persodi bujurg ,machana river ,gufa mandir road ,the farms of arun singh kiledar and kailash Prasad chunilal , sapna river ,the border of village batama,the border of village hanotia ,the timedha of badora ,village batama and village bharkawadi .
- South -** the timedha of badora ,village batama and village bharkawadi ,the border of village bhogiteda ,the border of village rondha , the thimedha of village rondha , parsoda and village bhadus .
- West –** the thimedha of village rondha , parsoda and village bhadus ,the border of village bhadus , karanji river , machna river fourline sonaghati iron railway bridge.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

TEJASWI S. NAIK, Collector.

क्रमांक-2019-एसजेएस-1-सीमावृद्धि-369

बैतूल, दिनांक 16 सितम्बर 2019

म.प्र.राजपत्र(असाधारण)प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 02-04-2019 -18-3 तहत प्राप्त स्वीकृति अनुसार म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 5-क की उपधारा(1)के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए बैतूल जिले की जनपद पंचायत आमला की सीमाओं के अंदर निम्न अनुसूची एक में दर्शाए गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करने के हेतु संक्रमणशील क्षेत्रों को नगरपालिका परिषद आमला की सीमावृद्धि के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है। अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति या सुझाव रखता है तो इस अधिसूचना के प्रकाशन से 15 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव तहसलीदार आमला को कर सकते हैं। समयावधि में प्राप्त सुझाव/आपत्ति ही मान्य होगी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुलताई प्राप्त सुझाव/आपत्ति का निराकरण कर अपने अभिमत सहित प्रस्ताव जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल को समय सीमा में प्रस्तुत करेंगे।

अनुसूची-एक

नगरपालिका परिषद आमला की सीमाओं में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तावित ग्रामों का क्षेत्र का विवरण

क्र.	नगरीय क्षेत्र के सीमावृद्धि हेतु सम्मिलित ग्रामपंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	शामिल किये जाने हेतु प्रस्तावित ग्राम का रकबा(क्षेत्रफल)	शामिल किये जाने हेतु प्रस्तावित ग्राम का खसरा नंबर	शामिल किये जाने हेतु प्रस्तावित ग्राम की संभावित जनसंख्या
1	हसलपुर	ग्राम पंचायत हसलपुर का लक्ष्मण नगर क्षेत्र	8.843 हेक्टेयर.	253 से 255 तक 257 से 276 तक	391
2	ससाबड़	ग्राम पंचायत ससाबड़ का बल्लाचाल क्षेत्र	9.170 हेक्टेयर.	941 से 1100 तक	650

अनुसूची-दो

अनुसूची-एक में दर्शाये गये क्षेत्रों सहित नगरपालिका परिषद आमला की पुनरीक्षित निम्न प्रकार है:-

- उत्तर - शमशान घाट, एयर फोर्स डेम तक।  
दक्षिण - ससाबड़ ढाना स्कूल के पिछे नाले तक।  
पूर्व - एम.ई.एस. पम्प हाउस तक।  
पश्चिम - एयफोर्स मेन गार्ड रूम तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर .

S. No. 2019/SJS-1/Seeme vrithi/369

Betul, the 16 September 2019

M.P. Gazette Notified Published with extraordenry authority As per the acceptance received under No.02-04-2019-18-03 Within the limits of the Amla Betul District,the powers conferred under sub-section 1of Section 5-A of the Madhya Pradesh Municipal Council Act 1961, The following In order to include the local area shown in the schedule,the transitional area is notified initialy for the increase of the limits of the Municipal Council Amla. If the local authority or any person residing therein has jurisdiction over any suggestion or objection in respect of any suit contained therein, within 15 days from the date of publication of this notification , your written objection/suggestion will be collected by Tehsiladar Amla. Any suggestion/objection received within the scheduled time shall only be considered Forwarded to Sub Divisional Officer (Revenue) Multai. Sub Divisional Officer (Revenue) Multai shall send his/her opinions/recommendations to District Urban Development Authority, Betul within scheduled time.

### Schedule 1

The area of the proposed villages to be included in the voundaries of the Nagar Palika Parishad Amla

S.No.	Name of the Proposed Gram Panchayats to be included in Municipal Council, Amla	Name of the villages under the Panchayat	Area of the Villages to be included	Khasra No. of the proposed villages	Population of the proposed Villages
01	Hasalpur	Lakshman Nagar Area of Gram Panchayat HASalpur	8.843 Hectre	253 to 255 And 257 to 276	391
02	Sasabad	Ballachal Area of Sasabad	9.170 Hectre	941 to 1100	650

### Schedule 2

The revised boundary of Municipal council Amla After inclusion of the area as mentioned in Schedule1 is:

North- up to Shamsham Ghat, Air Force Dam.  
 South- upto Nallah behind School in Sasabad Dhana.  
 East- upto MES pump House.  
 West- upto Air Force Main Guard Room.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
**TEJASWI S. NAIK**, Collector.

क्रमांक-एसजेएस-1-सीमावृद्धि-2019-370

बैतूल, दिनांक 16 सितम्बर 2019

म.प्र.राजपत्र ( असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 02-एफ-1-04-2019 -18-3 तहत प्राप्त स्वीकृति अनुसार म.प्र.नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 5-क की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बैतूल जिले की नगर पालिका परिषद सारनी की सीमाओं के अंदर निम्न अनुसूची एक में दबाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु संक्रमणशील क्षेत्र को नगर पालिका परिषद सारनी की सीमावृद्धि के लिए प्रारंभिक-रूप से अधिसूचित किया जाता है अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाले कोई व्यक्ति यदि

उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति या सुझाव रखता है तो इस अधिसूचना के प्रकाशन के प्रकाशन से 15 दिवस के भीतर अपना लिखित आपत्ति / सुझाव कार्यालय तहसीलदार घोडाडोंगरी को प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि में प्राप्त सुझाव / आपत्ति ही मान्य होगी / अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्राप्त सुझाव / आपत्ति का निराकरण कर अपने अभिमत सहित प्रस्ताव जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल को समय सीमा में प्रस्तुत करेंगे।

#### अनुसूची - एक

नगर पालिका परिषद सारनी की सीमाओं से सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तावित ग्रामों का क्षेत्र का विवरण

क्र.	नगरीय क्षेत्र के सीमावृद्धि हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	शामिल किये जाने हेतु प्रस्तावित ग्राम का रकबा (क्षेत्रफल)	शामिल किये जाने हेतु प्रस्तावित ग्राम का खसरा नंबर	शामिल किये जाने हेतु प्रस्तावित ग्राम की संभावित जनसंख्या
1	2	3	4	5	6
1	सलैया	सलैया	622.538	01 से 313 तक	2280
2	सलैया	बगडोना	260.567	169 से 365 तक	1305
3	सलैया	फोपस	80.160	.01 से 44 तक	विरान
4	सुखाढाना	सुखाढाना	108.148	26/1 से 26/3 तक 38/1 से 105/4 तक	1310

#### अनुसूची - दो

अनुसूची - एक में दर्शाये गये क्षेत्रों सहित नगर पालिका परिषद सारनी की पुनरीक्षित सीमा निम्न प्रकार है-

उत्तर में - सारनी घोडाडोंगरी मुख्य मार्ग पर सुखाढाना तिराहा से उत्तर की ओर चलते हुए रेलवे लाईन क्रॉस करके नर्मदापुरम कालोनी को शामिल करते हुए छतरपुर वन माईन्स को शामिल करते हुए बी.टी. रोड के सहारे चलते हुए एम.जी.एम. स्कूल बगडोना के पास बी.टी.रोड तक।

दक्षिण में - एमजीएम स्कूल बगडोना के पास बी टी रोड से पूर्व की ओर चलते हुए एमजीएम स्कूल बगडोना को छोड़ते हुए कालेज चौक तक सी सी रोड के सहारे चलते हुए शासकीय महाविद्यालय को छोड़ते हुए माध्यमिक शाला बगडोना तक सीधे चलते हुए रोड के सहारे पानी की टंकी के सामने बी.टी.रोड तक।

पूर्व में - ओ.एच.टी पानी टंकी के पास स्थित बी.टी.रोड से दक्षिण की ओर चलते हुए जयराम प्रजापति के मकान को शामिल करते हुए सावित्री देवी के घर के सामने पुलिया से नाले के सहारे चलते हुए मोक्षधाम के पास स्थित फोपस नदी की पुलिया तक।

पश्चिम में - मोक्षधाम के पास फोपस नदी पुलिया के पास से चलते हुए पश्चिम की ओर नदी के सहारे बी.टी.रोड पुलिया से चलते हुए सुखाढाना सहकारी उचित मूल्य दुकान को छोड़ते हुए बी.टी.रोड के सहारे चलते हुए सारनी, घोडाडोंगरी मुख्य मार्ग सुखाढाना तिराहा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर .

S. No. 2019/SJS-1/2019 Seemavardhi/370

Betul, the 16th September 2019

M.P. Gazette Notified Published with extraordinary authority As Per the Acceptance Received Under No. 02-04-2019-18-03 within the limits of the Sarni betul District the Power Conferred under Sub Section 1 of Section 5-A of the Madhya Pradesh Municipal Council Act 1961 . The Following in Order to Include the Local Area Shown in the schedule transitional area is Notified Initially for the Increase of the limit of the Municipal Council Sarni. If the local authority of any person residing there in has jurisdiction over any suggestion or objection in respect of any suit contained there in, within 15 days from the date of publication of this Notification your Written objection/suggestion will be collected by the Tehildar Tehsil Ghoradongri. Any Suggestion / objection Received within the Scheduled time shall Only we considered by

Suggestion / objection Received within the Scheduled time shall Only we considered by SDM(R) SHAHPUR shall send his/her Opinions /Recommendation to district Urban Development Authority, betul Within Scheduled time.

**Schedule 1**

The area of the proposed Village to be Include in the Boundaries of the Nagar Palika parishad Sarni

Sno	Name of the Proposed Gram panchayat to be included in the Municipal Council Sarni	Name of the Village under the panchayat	Area of the Villages under the panchayat	khasra no of Proposed Villages	Population of the Proposed Villages
1	Salaiya	Salaiya	622.538	01 to 313	2280
2	Salaiya	Bagdona	260.567	169 to 365	1308
3	Salaiya	Phopas	80.160	01 to 44	DESERTED
4	Sukhadhana	Sukhadhana	108.148	26/1to 26/3& 38/1 to 105/4 end	1310

**Schedule 2**

The area of the proposed Municipal Council After inclusion of the area as mentioned in Shedule -1 is

**North** –From Sukhadhana Tiraha at Sarni –Ghoradongri Main Road Travelling Towards North Crossing Railways line i/c Narmadapuram Colony Chatarpur Mines Traveling Towards MGM School Bagdona Near B.T. Road.

**South** – From MGM Bagdona near B.T. Road. Travelling by B.T. Road Leaving MGM School Bagdona to College Chock From CC Road Leaving Bagdona College to O.H.T.

**East** - From OHT Travelling east i/c Jayram Prajapati House To Culvert in Front of Savitri Devi house to Culvert at Phopas River.

**West-** From Culvert at Phopas River Travelling West to B.T. Road.Upto Control Shop Sukhadhana Leaving Shop Towards B.T. Road Upto Sukhadhana Tiraha at Sarni-Ghoradongri main Road

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
**TEJASWI S. NAIK, Collector.**

क्रमांक-2019-एसजेएस-1-सीमावृद्धि-2019-371

बैतूल, दिनांक 16 सितम्बर 2019

म.प्र.राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 02-04-2019 -18-3 तहत प्राप्त स्वीकृति अनुसार म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 5-क की उपधारा(1)के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए बैतूल जिले की जनपद पंचायत मुलताई की सीमाओं के अंदर निम्न अनुसूची एक में दर्शाए गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करने के हेतु संक्रमणशील क्षेत्रों को नगरपालिका परिषद मुलताई की सीमावृद्धि के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है। अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारीता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाली कोई व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति या सुझाव रखता है तो इस अधिसूचना के

प्रकाशन से 15 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव/आपत्ति तहसीलदार मुलताई को कर सकते हैं, प्राप्त आपत्ति/सुझाव/समयावधि में ही मान्य होगी /अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्राप्त सुझाव/आपत्ति का निराकरण कर अपने अभिमत प्रस्ताव जिला शहरी विकास अभिकरण बैतुल को समय सीमा में प्रस्तुत करेंगे।

**अनुसूची-एक**

नगरपालिका परिषद मुलताई की सीमाओं से सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तावित ग्रामों का क्षेत्र

क्र.	नगरीय क्षेत्र के सीमावृद्धि हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	शामिल किये जाने हेतु प्रस्तावित ग्राम का रकबा(क्षेत्रफल)	शामिल किये जाने हेतु प्रस्तावित ग्राम का खसरा नंबर	शामिल किये जाने हेतु प्रस्तावित ग्राम की संभावित जनसंख्या
1	कामथ	ग्राम कामथ	320.635 हेक्टेयर	1 से 169 तक	2898
2	कामथ	ग्राम चिखलीखुर्द	324.885 हेक्टेयर	1 से 324 तक	1017
3	कामथ	ग्राम थावरिया	424.021 हेक्टेयर	1 से 191 तक	36

**अनुसूची-दो**

अनुसूची-एक में दर्शाये गये क्षेत्रों सहित नगरपालिका परिषद मुलताई की पुनरीक्षित निम्न प्रकार है:-

उत्तर में- ग्राम चंदोराखुर्द की सीमा तक

दक्षिण में- ग्राम विरानगोंव हीराखापा की सीमा तक

पूर्व में- ग्राम पारडसिंगा की सीमा तक।

पश्चिम में- ग्राम पारेगोंव की सीमा तक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर.

M.P. Gazette Notified Published with extraordinary authority As per the acceptance received under No.02-04-2019-18-03 Within the limits of the Multai Betul District, the powers conferred under sub-section 1 of Section 5-A of the Madhya Pradesh Municipal Council Act 1961, The following In order to include the local area shown in the schedule, the transitional area is notified initially for the increase of the limits of the Municipal Council Multai. If the local authority or any person residing therein has jurisdiction over any suggestion or objection in respect of any suit contained therein, within 15 days from the date of publication of this notification, your written objection/suggestion will be collected by the Tehsildar Multai. Any suggestion/objection received within the scheduled time shall only be considered For, by SDM (R) Multai.



SDM(R) Multai shall send his/her opinions/recommendations to District Urban Development Authority, Betul within scheduled time.

**Schedule 1**

The area of the proposed villages to be included in the voundaries of the Nagar Palika Parishad Multai

S.No.	Name of the Proposed Gram Panchayats to be included in Municipal Council, Multai	Name of the villages under the Panchayat	Area of the Villages to be included	Khasra No. of the proposed villages	Population of the proposed Villages
01	Kamath	Gram Kamath	320.635 Hectare	1 to 169	2898
02	Kamath	Gram Chikhlikhurd	324.885 Hectare	1 to 324	1017
03	Kamath	Gram Thawariya	424.021 Hectare	1 to 191	36

**Schedule 2**

The revised boundary of Municipal council Multai After inclusion of the area as mentioned in Schedule-1 is:

- North- Gram Chandorakhurd Boundary  
 South- Gram Virangaon Hirakhapa Boundary  
 East- Gram Paradsinga Boundary  
 West- Gram Paregaon Boundary

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
**TEJASWI S. NAIK**, Collector.